न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊरानीपुर, झाँसी ।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या- ३६२/ २०२२

मूलचन्द्र बनाम दीपक मिश्रा आदि

थाना- लहचूरा, जिला- झाँसी ।

दिनांक- ११. ०५. २०२३

पत्रावली पेश हुई । पत्रावली आज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- १५६(३) दं०प्र०सं० के निस्तारण हेतु नियत है । **आवेदक मूलचन्द्र** की ओर से धारा- १५६(३) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर विवेचना की मांग की गयी है । आवेदक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति मय रजिस्ट्री डाक रसीद तथा मेडिकल रिपोर्ट की प्रतिलिपि आदि दाखिल किए गए हैं ।

प्रार्थना पत्र के प्रकाश में थाने से आख्या आहूत की गयी ।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया ।

न्यायालय द्वारा आवेदक के प्रार्थना पत्र का माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत प्रपत्र संख्या- ७६००/ एडमिन जी' - २ इलाहाबाद, दिनांकित- २७. ०५. २०१५ के अनुक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के विधि व्यवस्था **' ' मि० प्रियंका श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, क्रि० अपील संख्या- ७८१/ १२'** में दिये गये दिशा निर्देशों पर सम्यक रूप से विचार किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले के समस्त तथ्य आवेदक की जानकारी में हैं । गवाहों के नाम व पते उसे मालूम है, प्रार्थी स्वेच्छा से न्यायालय के समक्ष बेहतर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है । थाने की आख्या का अवलोकन किया । अतएव पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से प्रार्थी को प्रार्थना प्रत्र में अंकित तथ्यो के बावत परीक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । अतः विवेचना के स्थान पर माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **' रामबाबू गुप्ता २००१ (४३) ए०सी० सी० (फुल बेन्च) एवं सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य २००७ ए०सी० सी० ५९'** के अनुक्रम में प्रस्तुत मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर परिवादी को परिक्षित किया जाना न्यायहित में समीचीन है । अतः प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज हो । कार्यालय अविलम्ब अनुपालन सुनिश्चित करें, बाद अनुपालन पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा- २०० दं०प्र०सं० दिनांक- १४. ०७. २०२३ को पेश हो ।

(अभिनव यादव- द्वितीय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊरानीपुर
झाँसी ।
J. O. Code No. - UP3297